

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री के०आर० खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं० -

तारीख दायर

तारीख फैसला

12/2017/प्रार्थना पत्र

06.02.2017

20.04.2017

उनवान

- 1- कालू पिता गीला धाकड़ निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
 - 2- धन्नालाल पिता गीला धाकड़ निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
 - 3- रामहेत पिता गीला धाकड़ निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- बालू पिता खाना धाकड़ निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
 - 2- छगना पिता जगन्नाथ धाकड़ निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
 - 3- बालाबक्ष पिता ज्वारा धाकड़ निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
 - 4- रामस्वरूप पिता मोती धाकड़ निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम आमली बारेठ पटवार हल्का बालापुरा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 36 आ०न० 1683 रकबा 1.00 है० कुल कित्ता 01 रकबा 1.00 है० स्थित है। प्रार्थीगण की पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात के विपक्षीगण पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाना का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.04.2017 को विपक्षीगण 1 लगायत 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम आमली बारेठ पटवार मण्डल बालापुरा संवत 2071



a

से 74 खाता संख्या 36 कुल किता 1 रकबा 1.00 है0 के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर बाके ग्राम आमली बारेठ पटवार हल्का बालापुरा तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 36 आ0न0 1683 रकबा 1.00 है0 कुल किता 01 रकबा 1.00 है0 प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की पत्थरगढी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे मे पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 400/- (अक्षरे चार सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 20.04.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।



a
(के0आर0 ऑर्डर)

आर0ए0ए0ए0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (मीरठ)

फूलिया कलां, जिला - मीरठ

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि नुमाबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

a

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (मीरठ)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला - मीरठ

①